

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी
पीठासीन अधिकारी-श्री दिनेश विश्णोई R.A.S.

प्रकरण संख्या :- 113/2019

वादीगण

1. कालूराम पुत्र बगताराम
 2. बैरोसिंह पुत्र बगताराम
- जातियान राजपुरोहित निवासी सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बगताराम पुत्र गेनाराम
 2. रमेश पुत्र बगताराम
 3. पुखराज पुत्र बगताराम
 4. छोगाराम पुत्र दमाराम
 5. धमाराम गोदपुत्र भूराशम
- जातियान राजपुरोहित निवासी सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
जिला बाड़मेर
6. शाखा प्रबन्धक एसबीआई गुड़ामालानी
 7. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
सपठित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6
वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :-

1. श्री रामजीवन विश्णोई अधिवक्ता वादीगण

-: निर्णय :-

दिनांक :- 13/9/19

वादीगण ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 स.प. धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दु विधि से शासित होते है।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का पैतृक व संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मौजा रतनपुरा पटवार हल्का रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 431/1 रकबा 5-19 बीघा, खसरा नम्बर 407/8 रकबा 19-06, खसरा नम्बर 350 रकबा 17-05 बीघा तथा मौजा मघाणी मेगवालों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 407/1 रकबा 3 बीघा वक्त सैटलमेंट से आया हुआ है। भू प्रबन्ध संवत् 2012 में वादीगण के दादा पूर्व पुरुष स्वर्गीय गेनाराम के नाम पर्चा लगान जारी होकर खातेदारी रिकर्ड संधारित हुआ। वादीगण के दादा गेनाराम का देहान्त हुआ तब उक्त आराजी



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

13/8/11
करीब कारी इनाइलिया वारीक कारी
दुरी कारी नी साइने कारी हेल्ला 01
सायदल के इनाइलिया कर उपाय कालतकद
कदवाए गेनी उतिवाही हेल्ला 01 के उपाइलिया
हीकर कारीगण के कास पठ के रबीकर
कर कारीगण के वाक साय उतिवाही
उ. 1 के 3 के नी साइनेकार। दोहित
किने गेन का लिखित कथन सिपग
करीब कारीगण के वद दुरी गरी
दिलीप गल के लिखत जागर
दुगल सायदल इनाइलिया गरी

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) गुडामालानी